निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 98 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खण्ड, लोक निर्माण विभाग, घनसाली** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खण्ड, लोक निर्माण विभाग, घनसाली** के माह **अक्टूबर 2015 से दिसम्बर 2018** तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री प्रदीप कुमार मौर्या, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी, श्री अरूण कुमार शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) एवं श्री शशांक वर्मा, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक **31/12/2018 से 07/01/2019** तक श्री रणवीर सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखा सर्व श्री अनिल कुमार, श्री एस.एस.दरियाल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री मनोज कुमार, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 15/10/2015 से 23/10/2015 तक में सम्पादित किया गया एवं उक्त लेखा परीक्षा में माह 06/2012 से 09/2015 तक के लेखा अभिलेखों की सामान्यतःजांच की गई थी।

(ii) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार:**

अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, घनसाली, टिहरी गढ़वाल के खंड के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संपादित होने वाले विभिन्न निर्माण कार्यो (राज्य योजना/ जिला योजना/ निक्षेप मद में स्वीकृत मार्ग/सेतु/भवन का निर्माण तथा सुधार) के लिए आवश्यक सर्वेक्षण के उपरांत अधीनस्थ अवर अभियंताओ एवं एवं सहायक अभियन्ताओं के माध्यम से आगणन गठित कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक वित्तीय तथा तकनीकी स्वीकृति जारी करने/कराने के लिए उत्तरदायी हैं। समस्त कार्यो के सभी स्तरों पर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। जिलाधिकारी के अधीन कार्यों की प्रगति अनुश्रवण तथा प्रशासनिक निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायी है। कार्यों के लिए निर्धारित स्तर से निविदा आमंत्रण कार्य प्रगति, अनुश्रवण तथा मानको से संतुष्ट होने पर भुगतान की कार्यवाही किए जाने हेतु उत्तरदायी हैं।

(iii) बजट

(अ) लेखा परीक्षा अवधि में योजनावार बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(र लाख में)

वर्ष	मुख्य लेखा शीर्ष	गत अवशेष	आवंटन	योग	व्यय	अवशेष
2015-16	5054, 3054	0.00	508.00	508.00	508.00	0.00
2016-17		0.00	1100.00	1100.00	1100.00	0.00
2017-18		0.00	1247.00	1247.00	1247.00	0.00
2018-19(11.12.2018)तक		0.00	1364.00	1364.00	1092.00	281.00

(iv) इकाई को बजट आवंटन एव राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई "**B**" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

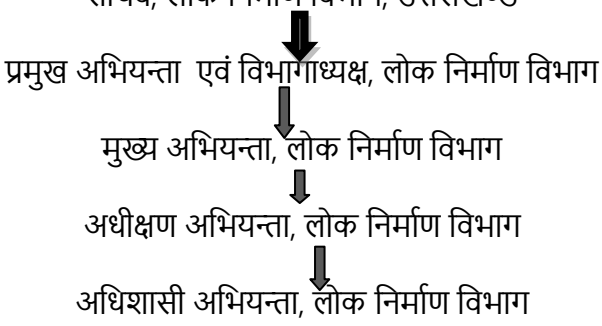

सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

↓

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग

↓

मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग

↓

अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग

↓

अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग

(v) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, घनसाली** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, घनसाली** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। लेखा परीक्षा द्वारा व्यय विवरण एवं प्राप्ति के आधार पर सर्वाधिक व्यय एवं प्राप्ति वाले माह क्रमशः मार्च 2016 एवं अगस्त 2017 को विस्तृत जांच एवं विश्लेषण हेतु चयन किया गया। इसी प्रकार सर्वाधिक व्यय वाले कार्य (घनसाली–गुत्तू मोटर मार्ग का निर्माण कार्य) को विस्तृत जांच एवं विश्लेषण हेतु चयन किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 , लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियमन-2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

1. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक 01.12.2016 एवं 30.11.2017 को निरीक्षण किया गया।

2. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2015 तथा 09/2018 तक की गई।

3. फार्म 51: माह 02/2018 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैः-

   भाग प्रथम - ₹ 61189032.00
   भाग द्वितीय - ₹ 402653.00

4. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 11/2018 के0 अन्त में

   (क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम - ₹ 7281756.53
   (ख) सामग्री क्रय – Nil
   (ग) नगद परिशोधन - Nil
   (घ) निक्षेप- ₹ 211878431.00
   (ङ) भण्डार- ₹ 1684362.04

भाग-2 (अ)

प्रस्तर -1 : रोड कटिंग चार्ज के रूप में प्राप्त धनराशि का अनियमित व्यय किया जाना `65.25 लाख ।

रोड कटिंग चार्जेस के संबंध में लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22-09-2016 के परिप्रेक्ष्य में मार्ग में केबल बिछाने के फलस्वरूप मार्ग/पटरी/नाली क्षतिग्रस्त हो जाती है। अतः मार्ग को पूर्व स्थिति में लाने हेतु रोड कटिंग चार्जेस की मांग की जाती है। रोड कटिंग चार्जेस से प्राप्त धनराशि का उपयोग उसी मद के पुनर्निर्माण हेतु किया जाए जोकि वास्तविक रूप से क्षतिग्रस्त हुई हो। यदि मार्ग में केबल बिछाने के फलस्वरूप कोई विशेष पुनर्निर्माण की आवश्यकता न हो तो धनराशि को शासन/राजस्व[1] में जमा कर दिया जाना चाहिए।

अस्थाई खंड (लो. नि. वि.) घनसाली, टिहरी के अभिलेखो की लेखा परीक्षा जांच (12/2018) मे पाया कि, खंड द्वारा उत्तरकाशी-लम्बगाँव-घनसाली-तिलवाड़ा मोटर मार्ग (किमी 67.30 से किमी 87.515) को BM/SDBC से सुधारीकरण/सुदृहीकरण के साथ ड्रैनेज कार्य एवं सुरक्षात्मक कार्यो हेतु `798. 96 लाख की स्वीकृति के सापेक्ष कार्य निष्पादन के दौरान **मार्ग की चौड़ाई बढ़ाए जाने एवं अंधे मोड़ो के सुधार हेतु पृथक से `232.59 लाख की पुनरीक्षित/ अतिरिक्त स्वीकृति प्राप्त कर कार्य निष्पादन किया गया** एवं निर्माण कार्य `1029.46 लाख के व्ययोपरांत 31-12-2016 को पूर्ण किया गया।

डिपॉज़िट राशि से संबन्धित अभिलेखो की लेखा परीक्षा जांच में पाया कि मोटर मार्ग के इसी प्रभाग (किमी 67.30 से किमी 87.515) में Reliance Jio infocom द्वारा मार्ग मे Optical Fiber Cable(OFC) बिछाया गया। उक्त प्रभाग मे OFC बिछाने हेतु Reliance Jio infocom द्वारा खंड को `127.99 लाख Road Cutting Charge मद में जमा (04-12-2017) किया गया जिसे सिविल डिपॉज़िट (8443) में रखा गया। खंड द्वारा मुख्य अभियंता (लो. नि. वि.) नई टिहरी से क्षतिग्रस्त सतह के मरम्मत हेतु स्वीकृति प्राप्त कर **पुनः उसी प्रभाग (किमी 67.30 से किमी 87.515) में अंधे मोड़ो के सुधार हेतु पहाड़ कटान एवं loose portion को रोकने के लिए दीवार निर्माण और Muck Disposal कार्य के प्रावधान कर दो अनुबंध[2] के माध्यम से कार्य निष्पादन की कार्यवाही की जा रही है,** जबकि राज्य योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्य निष्पादन के दौरान मार्ग की चौड़ाई बढ़ाए जाने एवं अंधे मोड़ो के सुधार हेतु पृथक से `232.59 लाख की पुनरीक्षित/ अतिरिक्त स्वीकृति प्राप्त कर एक वर्ष पूर्व ही कार्य निष्पादन किया गया था।

उक्त अनुबंधों के सापेक्ष वर्तमान तक कुल `65.25 लाख का भुगतान किया जा चुका है तथा कार्य प्रगति में है। यह भी उल्लेखनीय है कि खंड द्वारा अनुबन्ध संख्या 04/EE Dt:23-04-2018 एवं 05/EE Dt: 27-04-2018 के सापेक्ष क्रमशः `39.48 लाख एवं `39.04 लाख का विचलन भी स्वीकृत है। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि, खंड/विभाग का एकमात्र उद्देश्य डिपॉज़िट राशि का उपभोग (Exhaust) करना है।

उपरोक्त के सम्बंध मे इंगित किये जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि मार्ग पर केबल की खुदाई के दौरान खुदाई वाले स्थानो पर खुदाई की मिट्टी मार्ग पर आ जाने के कारण मार्ग की चौड़ाई 2 से 3 मीटर कम होने के कारण मार्ग सँकरे हो जाते है एवं दुर्घटना की संभावना रहती है। अतः संकरें स्थानो पर पक्के सुरक्षात्मक उपाय किए जाने आवश्यक थे।

खण्ड का उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि केबल डालने हेतु trench की खुदाई एवं उसे भरे जाने का कार्य संबन्धित कंपनी का होता है। अतः खुदाई के पश्चात कंपनी द्वारा मिट्टी न हटाकर हिल साइड कटिंग किया जाना न तो विभागीय प्रावधानों के अनुरूप है और न ही वित्तीय प्रावधानों/नियमो के अनुकूल।

---

[1] वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-V खंड-I के प्रस्तर 21 एवं उत्तराखंड बजट मैनुअल के अध्याय 9 के प्रस्तर 81 एवं 82(iii) में निहित प्रावधान के अनुसार विभागीय प्राधिकारी द्वारा यह देखा जाना चाहिए कि सरकार को देय सभी राजस्व प्राप्तियों को सही एवं उचित तरीके से निर्धारित कर बिना किसी बिलंब के शासकीय खाते में डाली जाए एवं इस प्रकार की प्राप्तियां सरकार से प्राधिकरण प्राप्त किए बिना विभागीय व्यय के रूप में उपयोग न की जाए।

[2] **Km 66 to Km 77**-04/EE Dt:23-04-2018 (Bhilangana Constructions) & **Km 77 to Km 87-**05/EE Dt: 27-04-2018 (P. R. Constructions)

अत: रोड कटिंग चार्जेस से प्राप्त धनराशि `127.99 लाख को राजस्व में न जमा कर किए गए `65.25 लाख का यह अनियमित व्यय का प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है

भाग- दो 'ब'

प्रस्तर-1 : ठेकों के अनियमित आवंटन के परिणामस्वरूप आंशिक मोटर मार्ग कार्यों का अपूर्ण रहना, लागत `77.00 लाख ।

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 (यथासंसोधित 2015) के नियम-33 के साथ पठित नियम-43 के प्रावधानों के अनुसार `1.5 करोड़ से अधिक लागत के निर्माण कार्यों के ठेकों का आवंटन ई-निविदा प्रक्रिया के आधार पर चयनित एकल-स्रोत न्यूनतम निविदाता को किया जाना होता है।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, अस्थाई खण्ड (लो.नि.वि.), घनसाली (टिहरी) के लेखा अभिलेखों की जांच के दौरान यह तथ्य उजागर हुआ था कि यद्यपि खण्ड द्वारा सड़क निर्माण के एक सम्पूर्ण कार्य (5.50 किमी. लम्बे बड़ियार-पंगरियाणा-कठुड-चांजी हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन), जिसकी प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति उत्तराखंड शासन द्वारा माह जुलाई 2016 में `3.65 करोड़ तथा इतनी ही धनराशि की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता द्वारा माह सितंबर 2016 में निर्गत की गई थी, हेतु आमंत्रित ई-निविदा प्रक्रिया (सितंबर 2016) के आधार पर न्यूनतम निविदाता मै0 सूर्य प्रकाश रतुड़ी-घनसाली की निविदा `2,84,46,689 का चयन किया था परन्तु उक्त ठेकेदार को सम्पूर्ण कार्य आवंटित नहीं किया गया था। उक्त निविदा के खोले जाने के उपरांत मार्ग के प्रथम 1.5 किमी. भाग के कार्यों को उपरोक्त वर्णित वित्तीय प्रावधानों के वीरुध 500-500 मीटर के तीन जॉब्स (Jobs) बनाकर अलग-अलग ठेकेदारों को निमन्वत आवंटित किए गये जबकि शेष 4 किमी. भाग के कार्य को मूल निविदाता (मै0 सूर्य प्रकाश रतुड़ी-घनसाली) को `2,30,00,148 की संसोधित लागत पर अनुबंध संख्या-16/एस.ई.-08/2016-17 दिनांक 25-10-2016 के तहत आवंटित किया गया था:

क्रं. स.	अनुभन्ध संख्या/दिनांक		ठेकेदार का नाम	लागत
1.	56/EE/2013-14	16-12-2016	मै0 राजेंद्र कंस्ट्रक्शन क0, देहारादून	20,60,375.40
2.	57/EE/2016-17	17-12-2016	श्री कुवर सिंह, घनसाली	30,94,355.15
3.	94/EE/2016-17	17-03-2017	मै0 भिलंगना कंस्ट्रक्शन क0, घनसाली	25,46,031.86
योग				**77,00,762.41**

उपरोकतानुसार गठित मूल अनुवंध के तहत कार्य आरम्भ करने की तिथि 15-12-2016 तथा समाप्ति की तिथि 14-06-2018 थी जबकि शेष 500-500 मीटर वाले भाग के अनुबन्धों के तहत कार्यों का निष्पादन 6 माह की अवधि के भीतर पूरा किया जाना नियत था। हालांकि, लेखा परीक्षा जांच में पाया गया था कि मूल कार्य के ठेकेदार द्वारा अपने अंतिम 4 किमी. वाले भाग में बिटुमिन सतह (प्रेमिक्स कार्पेट/सील कोट) तक के कार्य पूर्ण (`228.52 लाख) किए जा चुके थे परन्तु प्रथम 1.5 किमी. भाग में किसी भी ठेकेदार द्वारा अभीतक (दिसंबर 2018) ग्रेनुलर सतह (WBM) स्तर के ही कार्य पूरे नहीं किए गए थे। परिणामस्वरूप, मार्ग का यह 1.5 किमी. आंशिक भाग 1 से 1½ वर्ष का समय वयतित हो जाने के उपरांत भी अपूर्ण है।

संधर्वित्त कार्यों को 500-500 मीटर टुकड़ों में बाटने की लेखा परीक्षा आपत्ति के सम्बंध में खण्ड द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया था कि प्रथम बार पूर्ण कार्य की निविदा ही आमंत्रित की गई थी परंतु छोटे ठेकेदारों द्वारा खण्ड स्तर पर कई दिनों तक धरना–प्रदर्शन किया गया जिसमे उनका कहना था कि समस्त कार्यों की बड़ी निविदाए करने से छोटे ठेकेदार बेरोजगार हो रहे है, अतः व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए उक्त कार्य छोटे ठेकेदारों को दिये गए था। जिनकी निविदित दरें प्रथम आमंत्रित निविदा से अधिक नहीं थी। खंडीय मत स्वीकार्य-योग्य नहीं था क्योंकि विभाग यह कदम जहां एक ओर उपरोक्त वर्णित उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों के विरुध्द था वहीं दूसरी ओर 500-500 मीटर के छोटे भाग के कार्यों का अभीतक अपूर्ण अपूर्ण रहना इंगित करता है कि ये ठेकेदार उक्त कार्य निष्पादन हेतु सक्षम नहीं है। यह भी कि मोटर मार्ग के डबल्यू.बी.एम. एवं बिटुमिन सतह (प्रेमिक्स कार्पेट/सील कोट) जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का इस प्रकार का कार्य-आवंटन/नियोजन किसी भी दृष्टि से कार्य एवं शासकीय हित में नहीं है।

इस प्रकार लेखा परीक्षा में पाया गया था कि इन `77.00 लाख लागत के ठेकों का कार्य-आवंटन/नियोजन अनियमित था जिसके परिणामस्वरूप ये कार्य निर्धारित अवधि से 1 से 1½ वर्ष की समाप्ति के उपरांत भी अपूर्ण है। अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर:2- मार्ग निर्माण हेतु आवश्यक जांच किए बिना ही मार्ग निर्माण कार्य प्रारम्भ कर 10.00 किमी लंबाई मे अनुपयुक्त क्रस्ट पर हॉट मिक्स कार्य निष्पादन हेतु `328.03 लाख का व्यय किए जाने के बावजूद अधोमानक परिसंपतियों का सृजन।

शासन द्वारा उत्तरकाशी-लम्बगाँव-घनसाली-तिलवाड़ा मोटर मार्ग (SH-15) का डामरीकरण (BM/SDBC) कार्य (लंबाई-20.215 कि.मी.) के निर्माण हेतु कुल `1031.55 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान[3] की गयी हैं। निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता द्वारा कुल `1031.55 लाख की प्रदान[4] की गयी। निर्माण कार्य हेतु M/s कैलाश हिलवेस इंजीन्यरिंग एसोशिएटस, टिहरी, उत्तराखंड के साथ `766.81 लाख का एक अनुबंध गठित (10/SE-8/2013-14 Dt. 22-02-2014 ) किया गया। निर्माण कार्य 21-08-2015 तक पूर्ण किया जाना है। निर्माण कार्य `1029.46 लाख के व्ययोपरांत 31-12-2016 को पूर्ण किया गया।

वित्तीय हस्त पुस्तिका-भाग VI के प्रस्तर-318 के अनुसार "For every work proposed to be carried out properly detailed estimate must be prepares for sanction by competent authority. This sanction is known as technical sanction to the estimate and it must be obtained before work is commenced. As its name indicates, **it amounts to no more than a guarantee that the proposals are structurally sound and the estimates are accurately calculated and based on adequate data**. Such sanction will be accorded by an officer of the Public Works Department authorized to do so.

उपरोक्त से स्पष्ट है कि मार्ग निर्माण से पूर्व आवश्यक जांच (Survey, CBR, Traffic Census, Existing crust, Pavement Design/Overlay Design etc.) कर तदनुसार तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए जाने के पश्चात ही कार्य निष्पादन की कार्यवाही की जानी चाहिए। चूंकि मार्ग निर्माण के अंतर्गत हॉट मिक्स कार्यो की लागत बहुत अधिक होती है। अतः विभागीय अभियंताओ का दायित्व है कि निर्माण कार्यो मे IRC/MORTH एवं प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा जारी की गयी विशिस्टियों/मानको का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया जाये जिससे कि सृजित परिसंपातियाँ दीर्घ जीवी हो और जल्दी ह्रास न हो।

अस्थाई खंड (लो. नि. वि.) घनसाली, टिहरी के अभिलेखो की लेखा परीक्षा जांच (12/2018) मे पाया कि, उक्त मोटर मार्ग (SH-15) चार धाम यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है। इस मार्ग के 20.215 किमी लंबाई (किमी 67.30 से किमी 87.515) तक P-1 एवं P-2 से लेपित थी। मूल स्वीकृति के सापेक्ष खंड द्वारा CBR, Traffic Census, Existing crust, Pavement Design/Overlay Design आदि का मूल्यांकन किए बिना ही अन्य कार्यो[5] के अतिरिक्त पूर्ण लंबाई में हॉट-मिक्स कार्य का प्रावधान कर तदनुसार तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर अनुबंध गठित कर, मार्ग निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया तथा 10 किमी लंबाई (किमी 78 से 87) में BM/SDBC कार्य निष्पादन के पश्चात अवशेष लंबाई (किमी 67 से 77) मे

---

[3] पत्रांक संख्या 2012/III(2)/13-61(प्रा.आ.)/2012; दिनांक 28-03-2013 `798.96 लाख और 5409/III(2)/15-61 (प्रा.आ.)/ 2012; दिनांक 24-07-2015 `232.59 लाख

[4] मुख्य अभियंता (ग. क्षे.) पौड़ी के पत्रांक:181/8(20) याता-पर्व/2014 दिनांक 29-01-2014 `798.96 लाख एवं मुख्य अभियंता (लो. नि. वि.) नई टिहरी के पत्रांक:1146/868-टि./याता-टी. एस. /16 दिनांक 13-05-2016 `232.59 लाख

[5] अति-आवश्यक अंधे मोड़ों पर सुधार हेतु पहाड़ कटान कार्य, दीवार निर्माण कार्य, ड्रैनेज कार्य, सुरक्षात्मक कार्य।

आई.आई.टी. रुड़की से Benkelman Beam Test एवं विभागीय समिति द्वारा मार्ग के Crust Thickness की जांच करायी गयी। समिति द्वारा मार्ग की क्रस्ट की मोटाई 18-19 सेमी ही पायी गयी।

आई.आई.टी. रुड़की द्वारा जांचोपरांत पाया कि इस मार्ग की Existing Crust Thickness मात्र 16-17 सेमी है, जोकि इस मार्ग पर चलने वाले यातायात (2.32msa) हेतु पर्याप्त नहीं है (*Grossly inadequate for traffic plying on the road*)। अतः उनके द्वारा संस्तुति की गयी कि BM/SDBC overlay किए जाने से पूर्व Existing PC को हटाकर WBM(G-III) की दो लेयर (75 mm+75 mm) बिछाई जाए। उक्त संस्तुति के सापेक्ष कार्य निष्पादन हेतु एवं कतिपय स्थानो पर मार्ग की चौड़ाई बढ़ाए जाने हेतु खंड द्वारा `232.59 लाख की पुनरीक्षित/अतिरिक्त स्वीकृति प्राप्त की गयी, एवं अवशेष 10 किमी लंबाई (किमी 67 से 77) मे आई.आई.टी. रुड़की की संस्तुति के सापेक्ष WBM(G-III) की दो लेयर (75 mm+75 mm) बिछाकर Crust Thickness बढ़ाकर BM/SDBC overlay कार्य का निष्पादन किया गया।

Tack coat =41314*`10= `413140

BM-2099* `10700= `22459300

SDBC- 1000* `12400= `12400000

लेखा परीक्षा जांच में पाया कि 10 किमी लंबाई (किमी 78 से 87) जिसमे आवश्यक जांच किए बिना ही BM/SDBC कार्य का निष्पादन किया जा चुका था में भी क्रस्ट की मोटाई 17 से 20 सेमी ही थी जोकि मार्ग के यातायात हेतु अनुपयुक्त थी। खंड की यह कार्यवाही प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या (*57/10 अधिप्राप्ति /2014 दिनांक 27/06/2014*) एवं MORTH के प्रावधानों के विरुद्ध है। परिपत्र के अनुसार BM द्वारा Overlay का प्रावधान तभी किया जाना चाहिए जब Existing Pavement Thickness 30 सेमी से अधिक हो अन्यथा overlay हेतु WBM/WMM का प्रावधान किया जाएगा।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि खंड द्वारा मार्ग निर्माण हेतु अभियांत्रिकी के मूलभूत सिद्धांतों यथा आवश्यक/मूलभूत जांच (Survey, CBR, Traffic Census, Existing crust, Pavement Design/Overlay Design etc.) किए बिना ही मार्ग निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया तथा 10.00 किमी लंबाई मे Insufficient crust-17 से 20 सेमी (*Grossly inadequate for traffic plying on the road*) पर BM/SDBC का कार्य किया। इस प्रकार Insufficient crust पर हॉट मिक्स कार्य हेतु `328.03 लाख का व्यय किए जाने किए जाने के बावजूद सृजित परिसंपतियाँ अधोमानक ही है।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया कि, प्रारम्भ का 10 किमी (किमी 78 से 87) भाग पूर्ण रूप से चट्टानी भाग से होकर गुजरता है तथा मार्ग के इन किमी में पूर्व में सतह बहुत अच्छी थी अतः इस भाग में मात्र BM & SDBC से overlay किया जाना ही उचित है।

खंड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि समस्त पहाड़ी मार्ग चट्टानी भाग से ही होकर गुजरता है तथा खंड द्वारा इन किमी हेतु CBR से संबन्धित कोई अभिलेख/साक्ष्य आदि लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि इस भाग हेतु अतिरिक्त crust की आवश्यकता नहीं है। साथ ही इस भाग में मार्ग की सतह बहुत अच्छी होने के बावजूद BM & SDBC से overlay किए जाने का औचित्य भी स्पष्ट नहीं किया गया। तथा Existing Pavement Thickness 30 सेमी से कम होने के बावजूद BM द्वारा Overlay किया जाना प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा जारी निर्देशों के विरुद्ध है।

अतः मार्ग निर्माण हेतु आवश्यक/मूलभूत जांच किए बिना ही मार्ग निर्माण कार्य प्रारम्भ किए जाने तथा 10.00 किमी लंबाई मे Insufficient crust पर हॉट मिक्स कार्य हेतु `328.03 लाख का व्यय किए जाने के बावजूद अधोमानक परिसंपतियाँ सृजित किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर-3 (क) उपखनिजों पर रायल्टी का कम वसूल किया जाना, रु. 8.91 लाख।

उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1 देहरादून के पत्रांक संख्याः 211/VII-1/24-ख/2007 दिनांक 26 फरवरी 2016 के द्वारा जारी अधिसूचना के तहत उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार)(संशोधन) नियमावली 2016 में रायल्टी की नयी दरें निर्धारित की गयी। जिसके तहत नदी तल से भिन्न स्थानों से प्राप्त खण्डास/बोल्डर्स, बजरी/गिट्टी, बैलास्ट सिंगल/पहाड़ों के क्षरण से उत्पन्न मोरग/बालू की नयी रायल्टी दर **194.50** प्रति घनमीटर निर्धारित की गयी। उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2016 के द्वारा यह तुरन्त प्रवृत्त होनी थी। इससे पूर्व उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग के अधिसूचना के पत्र संख्याः 1207/VII-1/24-ख/2007 दिनांक 07 अगस्त 2015 के द्वारा 200.00 प्रति घनमीटर निर्धारित किया गया था।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो.नि.वि., घनसाली के माह 03/2016 के वाऊचरों की लेखापरीक्षा में पाया गया था कि रायल्टी नये दर से न काटकर पुरानी दर से (स्टोन @ रु. 80, वालू @90 एवं बैलास्ट @ 80 प्रति घनमीटर) काटी गयी है। जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को रु. 8,90,987.00 का अधिक भुगतान हुआ था।

खण्ड द्वारा उत्तर में बताया गया कि रॉयल्टी की नयी दर रु. 194.50/- प्रतिघन मीटर का शासनादेश समय से उपलब्ध न होने के कारण कटौती नहीं हो पायी है, संबंधित ठेकेदारों से संलग्न सूची के अनुसार प्रकीर्ण मद में डालते हुए वसूली की कार्यवाही कर ली जायेगी। अतः कम वसूल रॉयल्टी की वसूली हेतु प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

प्रस्तर-3 (ख) ठेकेदारों के देयकों से लेबर सेस की कटौती न किया जाना, रु. 48017.13

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष प्रकीर्ण वर्ग उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग देहरादून के कार्यालय ज्ञाप पत्रांकः 1285/1710 वि.प्र./13 दिनांक 11/09/2013 के द्वारा ठेकेदार के देयकों से 1 प्रतिशत का लेबर सेस की कटौती की जानी प्राविधानित है।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो.नि.वि., घनसाली नमूना माह 03/2016 एवं 08/2017 की वाऊचरों की लेखापरीक्षा में पाया कि संलग्न ठेकेदारों की सूची के बिलों से 1 प्रतिशत की लेवर सेस की कटौती न करके ठेकेदारों को अप्रत्यक्ष रुप से लाभान्वित किया गया है। जिससे ठेकेदारों को रु. 48017.13 का अधिक भुगतान हुआ था।

खण्ड द्वारा उत्तर में बताया गया कि ठेकेदारों के देयकों से त्रुटिवश लेवर सेस नहीं काटा गया है जो ठेकेदारों के नाम प्रकीर्ण अग्रिम मद में डालकर वसूल किया जायेगा। अतः कम वसूल लेबर सेस की वसूली हेतु प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

क्रम संख्या	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर का विवरण		
		भाग –II (अ)	भाग –II (ब)	STAN
1.	48/89-90	-	4	
2.	65/90-91	2	-	
3.	64/91-92	2	2	
4.	46/92-93	1	1	
5.	87/93-94	1	1	
6.	149/96-97	2	1	
7.	193/97-98	1	-	
8.	17/98-99	1	-	
9.	18/2001-02	01	08	
10.	7/2002-03	02	02	
11.	01/2004-05	01	04	
12.	01/2006-07	-	05	
13.	19/2012-13	04	-	
14.	70/2015-16	01(A&B)	01	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
खंड द्वारा अनिस्तारित प्रस्तरों की अद्यतन आख्या उच्चाधिकारियों की संस्तुति सहित प्रस्तुत नहीं किया गया।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....शून्य.....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, घनसाली** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

(i) निक्षेप पंजिका, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19

(ii) माप पुस्तिका – 222/L, 246/L

2. सतत् अनियमितताएः

(i) शून्य

3. कार्यालय गठन से निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया।

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
(i)	इं. अनुपम सक्सेना	अधिशासी अभियन्ता	दिनांक 30.05.2015 से 26.10.2015 तक।
(ii)	इं. हीरा भल्लभ जोशी	अधिशासी अभियन्ता	दिनांक 26.10.2015 से 17.11.2015 तक।
(iii)	इं. डी.एल. वर्मा	अधिशासी अभियन्ता	दिनांक 17.11.2015 से 16.08.2016 तक।
(iv)	इं. भगवती प्रसाद नौटियाल	अधिशासी अभियन्ता	दिनांक 16.08.2016 से 24.08.2016 तक।
(v)	इं. डी.एल. वर्मा	अधिशासी अभियन्ता	दिनांक 24.08.2016 से 31.07.2017 तक।
(vi)	इं. जगमोहन चौहान	अधिशासी अभियन्ता	दिनांक 31.07.2017 से 11.09.2017 तक।
(vii)	इं. नवीन लाल वर्मा	अधिशासी अभियंता	दिनांक 11.09.2017 से वर्तमान तक।

4. विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

1.	श्री माता प्रसाद	खण्डीय लेखाधिकारी	दिनांक 10/2015 से 11/2016 तक।
2.	श्री आर.आर. वी.एस. राणा	खण्डीय लेखाधिकारी	दिनांक 12/2016 से 08/2018 तक।
3.	श्री रामपुकार चौरसिया	खण्डीय लेखाधिकारी	दिनांक 08/2016 से वर्तमान तक।

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, घनसाली को इस आशय से प्रेषित है कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार, आर्थिक क्षेत्र-2 कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून-2481095 को प्रेषित किया जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र - 2